


IV 25/2008



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

402381



श्री लक्षिराम महाविद्यालय

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 20-02-2008 को सैदपुर गाजीपुर में रामचन्द्र सिंह यादव पुत्र लक्षिराम सिंह यादव ग्राम - सालिकपुर विकास खण्ड मनिहारी व तहसील सैदपुर जिला-गाजीपुर उपरोक्त द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट श्री लक्षिराम महाविद्यालय के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्त्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के

(1)

(ख) अध्यक्ष/द्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस द्रस्ट डीड के किसी किन्हीं प्राविधान/प्रविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्रविधान/प्रविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकेगी। श्री लक्षिराम महाविद्यालय की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित श्री लक्षिराम महाविद्यालय के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मसमर्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण

1. नाम कृष्णभूषण
पता श्री बाबूट - कर्णाठक
१८५३० - बैदुरु
गोपीपुर

2. नाम त्रिलोक प्रसाद
पता श्री - इकरा
पौर - जौरा
५१२०० - जहानाबाद
१८५३० - सीमु
गोपीपुर

दिनांक :

रामचन्द्र सिंह यादव

(संस्थापक / अध्यक्ष)

श्री लक्षिराम महाविद्यालय



मसविदाकर्ता

श्री लक्षिराम महाविद्यालय -
१८५३० - ६२१२